क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थानराज्य प्रदूषणनियंत्रण मण्डल
प्रथमचरण,सहकारीभूमिविकासबैंक, कॉलेजरोड, पुलिसलाइन के सामने,
नागौर– 341001 (राज.), ई–मेल–rorpcb.nagaur@gmail.com

RPCB/RO NGR/PUB-181/ 1724-1732 Date: 11/10/23

Member Secretary,
State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA),
Main Building, Room No. 5221, Secretariat,
Jaipur (Raj.) Email-seiaaseiaa2018@gmail.com

Sub.:- Regarding Public hearing for Environmental Clearance for "China Clay Mining Cluster Projects, (M.L. No. 03/19, 14/20, 21/13, 06/13, 05/13, 07/14, 27/13, 14/14, 11/13, 61/13, 09/13, 20/13, 52/13, 37/13, 03/12, & 06/14) Proposed capacity of the cluster is – 3,84,224 TPA and Total Cluster Area- 63.444 Hectare, Applied by **M/s Shri Hanuman Ram S/o Sh. Harka Ram & Co-Applicant- Smt. Chuki Devi W/o Sh. Harka Ram, Sh. Chandra Ram S/o Sh. Pusa Ram**, M.L. No.- 03/19, Mine Lease Area of 2.0091 Hectare, with the Proposed production capacity- 60,951 TPA (ROM), Located at Mokalpur, Tehsil- Merta, District- Nagaur (Raj.)."

Ref.:- (i) Auto ToR Issued by SEIAA, Rajasthan, File No. AT000198 Dated 13-04-2023.
2. कार्यालय जिलाकलक्टर एवंजिलामजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र कमाकन्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2023/5186दिनांक19.08.2023
3. Public hearing for Environmental Clearance dated 04.10.2023.

Sir,

In continuation to the letter referred above, it is submitted that Public Hearing for the proposed project of "China Clay Mining Cluster Projects, (M.L. No. 03/19, 14/20, 21/13, 06/13, 05/13, 07/14, 27/13, 14/14, 11/13, 61/13, 09/13, 20/13, 52/13, 37/13, 03/12, & 06/14) Proposed capacity of the cluster is – 3,84,224 TPA and Total Cluster Area- 63.444 Hectare, Applied by **M/s Shri Hanuman Ram S/o Sh. Harka Ram & Co-Applicant- Smt. Chuki Devi W/o Sh. Harka Ram, Sh. Chandra Ram S/o Sh. Pusa Ram**, M.L. No.- 03/19, Mine Lease Area of 2.0091 Hectare, with the Proposed production capacity- 60,951 TPA (ROM), Located at Mokalpur, Tehsil- Merta, District-Nagaur (Raj.)." was conducted on 04.10.2023. Minutes of the Public Hearing, Attendance Sheet, Suggestions/Objections received, Video CD, Photographs and News Paper cuttings are enclosed herewith for further necessary action, please.

Yours sincerely,

(Savita)
Regional Officer o/c

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. The District Collector, Nagaur.
3. The Sub-Divisional Magistrate, Merta, Nagaur.
4. Tehsildar, Tehsil- Merta, District- Nagaur.
5. BDO, PanchayatSamitiMerta, Tehsil- Merta, District- Nagaur.
6. Bharat Nirman Rajiv Sewa Kendra (I.T.Center),Village- Mokalpur,Tehsile-Merta,District- Nagaur
7. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display Public Hearing Minutes on website of the State Board.
8. **M/s Shri Hanuman Ram S/o Sh. Harka Ram**, Village-Mokalpur, Tehsil-Merta, District- Nagaur

Regional Officer o/c

9982503361

जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री हनुमान राम पुत्र श्री हरकाराम सह–खातेदार श्रीमती चुकली पत्नि स्व. श्री हरकाराम श्री चन्द्राराम पुत्र श्री पुसाराम, निवासी ग्राम मोकलपुर, तहसील मेड़ता, जिला नागौर, प्रस्तावित खनन परियोजना (चाईनाक्ले) के खनन की क्लस्टर (एम एल. न. 03/2019, 14/20, 21/13, 06/13, 05/13, 07/14, 27/13, 14/14, 11/13, 61/13, 09/13, 20/13, 52/13, 37/13, 03/13, एवं 6/14) मय खनन परियोजना एम.एल. नं. 03/2019, क्षेत्रफल 2.0091 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 60951 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 63.4445 हैक्टेयर, क्लस्टर की उत्पादन क्षमता 384224 टन प्रति वर्ष, निकट ग्राम– मोकलपुर, तहसील मेड़ता, जिला नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता, जिला नागौर की अध्यक्षता मे दिनांक 04.10.2023 को सुबह 10:00 बजे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी.सेक्टर), गावं मोकलपुर, तहसील मेड़ता, जिला नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला क्लस्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदुषण/ज.सु. 2023/5186 दिनांक 19.08.2023 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, नागौर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–नागौर/पी.यू.वी.-181/1341 दिनांक 25.08.2023 के अनुपालना में मैसर्स श्री हनुमान राम पुत्र श्री हरकाराम सह–खातेदार श्रीमती चुकली पत्नि स्व. श्री हरकाराम श्री चन्द्राराम पुत्र श्री पुसाराम, प्रस्तावित खनन परियोजना एम एल. न. 03/2019, क्षेत्रफल 2.0091 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 60951 टन प्रति वर्ष (रोम) एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 63.4445 हैक्टेयर, क्लस्टर की उत्पादन क्षमता 384224 टन प्रति वर्ष, ग्राम मोकलपुर, तहसील मेड़ता जिला नागौर (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 04.10.2023 को आयोजित की गई।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01** पर **संलग्न** है। जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र दैनिक नवज्योति तथा इण्डीयन

एक्सप्रेस के संस्करण दिनांक 28.08.2023 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।**

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात श्रीमती अर्चना चौधरी, उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता, जिला नागौर की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उदेदश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एव परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बावत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार आर.के. कंसल्टेंटस, जोधपुर का तकनीकी सलाहकार श्री लोकेन्द्र सिंह के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, नागौर एवं श्रीमती अर्चना चौधरी, उपखण्ड अधिकारी मेड़ता, जिला नागौर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। उपखण्ड अधिकारी महोदय ने जनसुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को बताया कि आप सभी ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के बारे में जो भी बताया है आप की तरफ से जो भी आपेक्ष/सुझााव हो उसका जवाब दिया जायेगा। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा गांववालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

इसी क्रम में **श्री बिरमा राम माली, निवासी मालियों की ढाणी** ने कहा कि हमारे गाँव का नाम इस खनिज सम्पदा से राज्य, देश विदेश, मतलब कही ना कही चाइना क्ले की जरूरत पड़ती ही है। जो इस खनिज सम्पदा के माध्यम से हमारे गाँव का नाम अच्छा होगा और नाम रोशन होगा और इसी के साथ खनन क्षेत्रों में हमारे बेरोजगार युवा भाई है उनको रोजगार मिलेगा। रही बात पर्यावरण की पर्यावरण में जहा तक मेरी जानकारी है कोई नुकसान नही है क्योकि वन्यजीव, पशु पक्षियों के लिए इसमें कोई खतरा नही है, जैसे कि खेतों के बीच में ज्यादा पेड़ नही होते है, पेड होते है, खेतो की माट (Boundry) पे। वन्यजीव पशु पक्षियों के लिए कोई इससे ऐसा नुकसान नही है । खनन क्षेत्रों में जो गढ़ा रहेगा तो आने वाले समय में जो बरसात का पानी इक्ट्ठा होगा उससे पानी का रिचार्ज भी होगा हमें इससे फायदा लगता है। इस फायदे में एक अकेला निजी खातेदार जो माईन्स करता है उसके अलावा गाँव वालों को भी फायदा है। उससे रोजगार भी मिलता है। साथ ही यह खनन क्षेत्र होगा तो खनन क्षेत्र मालिक और सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट हरित क्रान्ति के पेड़ पौधे जैसे कार्यक्रम लगेगे तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे गाँव और भी रोशन होगा और एक छोटा सा सुनने में आया है कि हमारे जमीन के अंदर चाईना क्ले के नीचे लिग्नाइट कोयला भी है तो यह हो सकता है सरकार इसपे भी ध्यान दे, कोयला खनन क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र आयेगा, तो आने वाला समय और अच्छा होगा, धन्यवाद।

श्री धर्माराम माली, सरपंच, ग्राम – मोकलपुर ने कहा कि आपने जो यह योजना हमारे गाँव में प्रस्तुत की है उसके लिए हम सभी ग्रामवासियों को खुशी है। हमारा गाँव का विकास होगा, गाँव का विकास होगा तो हमारी तहसील का विकास होगा और हमारे राष्ट्र का विकास होगा। माईन्स बनने पर हमारे गाँव के सैकड़ो मजदूर काम करेगे। स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक जगह, इन सभी जगहो पर माईन्स मालिक को हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से अनुरोध (Request) है कि आप अपने कर्तव्य के साथ–साथ हमारे गाँव, स्कूल, अस्पताल का भी ध्यान रखें और मदद करे। बाकी सभी ग्रामवासियों की तरफ से सहमति है। हमको कोई शिकायत नही है। आप इसको स्वीकृत कराये और भगवान इसकी मदद करे। यह हमारा सभी का कहना है आप अपने कार्य में सक्षम हो और गाँव की स्कूल, अस्पताल में जितना हो सके सहयोग करे।

Danita

उपखण्ड जिला अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासी/जनसमूह से पुनः आग्रह किया की कोई सुझाव और अगर कोई आपति हो तो बताए।

अंत में ग्रामवासी/जनसमुदाय ने खान के बारे में कोई आपति नहीं है बताया और कहा कि हमे इस परियोजना से कोई दिक्कत नही है।

जन सुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नही हुए है।

अंत में श्रीमती अर्चना चौधरी, उपखण्ड जिला अधिकारी, मेड़ता की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/ जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई। जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

अर्चना चौधरी
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता, जिला नागौर (राज.)

सविता
(Savita)
Regional Officer
Rajasthan State Pollution Control Board
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म.
नागौर (राज)

उपस्थिति पत्रक

Public hearing for Environmental Clearance for ''China Clay Mining Cluster Projects, (M.L.No. 03/19, 14/20, 21/13, 06/13, 05/13,07/14, 27/13, 14/14, 11/13, 61/13, 09/13, 20/13, 52/13, 37/13, 03/12, & 06/14) Proposed production capacity of the cluster is – 3,84,224 TPA (ROM) and Total Cluster Area 63.4445 Heacters, Applied by M/s Shri Hanuman Ram S/o Harka Ram & Co-Applicant- Smt. Chuki Devi W/o Sh. Harka Ram, Sh. Chandra Ram S/o Sh. Pusa Ram, M.L.No.-03/19, Mine Lease Area of 2.0091 Hectare, with the Proposed production capacity – 60951 TPA (ROM), Located at Near village- Mokalpur, Tehsil- Merta, District Collector, Nagaur (Rajasthan).

Place- Bharat Nirman Rajiv Sewa Kendra (I.T.Center), Mokalpur, Tehsil- Merta, District Collector, Nagaur.

Date-04.10.2023
Time-10.00 AM

क्र.स.	नाम व पता	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	Archana Choudhary SDO Merta	9636937417	[signature]
2.	SAVITA, RO, RSPCB, Nagaur	9983411222	[signature]
3.	Tejraj Gaur, AEE, RSPCB, Nagaur	9549826642	[signature]
4.			
5.	धर्मराज सांखला सरपंच मोकलपुर	9461348929	[signature]
6.	रामदेव S/o रूपाराम सिरोल	9982303361	[signature]
7.	हरिराम S/o कानाराम खोड़ा	9461314673	[signature]
8.	रूपाराम S/o पुसाराम खेड़ा	9983459684	रूपाराम
9.	कैलाशराम S/o कालुराम जाखड़ रामसुख जाखड़	6375890441	[thumb impression] कैलाशराम
10.			

उपस्थिति पत्रक

Public hearing for Environmental Clearance for ''China Clay Mining Cluster Projects, (M.L.No. 03/19, 14/20, 21/13, 06/13, 05/13,07/14, 27/13, 14/14, 11/13, 61/13, 09/13, 20/13, 52/13, 37/13, 03/12, & 06/14) Proposed production capacity of the cluster is – 3,84,224 TPA (ROM) and Total Cluster Area 63.4445 Heacters, Applied by M/s Shri Hanuman Ram S/o Harka Ram & Co-Applicant-Smt. Chuki Devi W/o Sh. Harka Ram, Sh. Chandra Ram S/o Sh. Pusa Ram, M.L.No.-03/19, Mine Lease Area of 2.0091 Hectare, with the Proposed production capacity – 60951 TPA (ROM), Located at Near village- Mokalpur, Tehsil- Merta, District Collector, Nagaur (Rajasthan).

Place- Bharat Nirman Rajiv Sewa Kendra (I.T.Center), Mokalpur, Tehsil- Merta, District Collector, Nagaur.

Date-04.10.2023
Time-10.00 AM

11.	रामकिशोर S/o सतनाराम	9983204560	रामकिशोर
12.	संजय S/o खेताराम	9782541587	संजय
13.	मेहबूब अली S/o फतेहखान	9413801517	मेह
14.	बस्तीराम S/o ... लेड़	9413269370	
15.	मोहनराम S/o शिवराम		
16.	सुखराम जाकड़	9351847072	सुखराम
17.	रामचन्द मोकलपुर	9672944633	Ram Chd
18.	मोतीराम माली मोकलपुर	9982121129	मोतीराम
19.	पुनाराम मोकलपुर	9782816905	पुनाराम
20.	धरमाराम मोकलपुर	—	[illegible]
21.	रामनिवास माली मोकलपुर	7627000866	[illegible]

उपस्थिति पत्रक

Public hearing for Environmental Clearance for ''China Clay Mining Cluster Projects, (M.L.No. 03/19, 14/20, 21/13, 06/13, 05/13,07/14, 27/13, 14/14, 11/13, 61/13, 09/13, 20/13, 52/13, 37/13, 03/12, & 06/14) Proposed production capacity of the cluster is – 3,84,224 TPA (ROM) and Total Cluster Area 63.4445 Heacters, Applied by M/s Shri Hanuman Ram S/o Harka Ram & Co-Applicant- Smt. Chuki Devi W/o Sh. Harka Ram, Sh. Chandra Ram S/o Sh. Pusa Ram, M.L.No.-03/19, Mine Lease Area of 2.0091 Hectare, with the Proposed production capacity – 60951 TPA (ROM), Located at Near village- Mokalpur, Tehsil- Merta, District Collector, Nagaur (Rajasthan).

Place- Bharat Nirman Rajiv Sewa Kendra (I.T.Center), Mokalpur, Tehsil- Merta, District Collector, Nagaur.

Date-04.10.2023
Time-10.00 AM

22.	चन्द्राराम मोकलपुर	—	
23.	गाजीराम मोकलपुर	—	
24.	बलदेवराम मोकलपुर	9587217101	
25.	मांगुराम मोकलपुर	9602244568	
26.	गणपतसिंह इन्दावड़	9982732946	गणपतसिंह
27.	महेन्द्र इन्दावड़	9772884021	[signature]
28.	गणपतनाथ लूणियास	9588098359	गणपतनाथ
29.	सुखाराम जांगिड़ इन्दावड़	9785675011	सुखाराम
30.	रामअवतार जांगिड इन्दावड़	9950784013	[signature]
31.	मुश्ताक रहमकाजी	6350194322	
32.	नरसींगाराम इन्दावड़	9667401149	नरसींगाराम

उपस्थिति पत्रक

Public hearing for Environmental Clearance for ''China Clay Mining Cluster Projects, (M.L.No. 03/19, 14/20, 21/13, 06/13, 05/13,07/14, 27/13, 14/14, 11/13, 61/13, 09/13, 20/13, 52/13, 37/13, 03/12, & 06/14) Proposed production capacity of the cluster is – 3,84,224 TPA (ROM) and Total Cluster Area 63.4445 Heacters, Applied by M/s Shri Hanuman Ram S/o Harka Ram & Co-Applicant- Smt. Chukli Devi W/o Sh. Harka Ram, Sh. Chandra Ram S/o Sh. Pusa Ram, M.L.No.-03/19, Mine Lease Area of 2.0091 Hectare, with the Proposed production capacity – 60951 TPA (ROM), Located at Near village- Mokalpur, Tehsil- Merta, District Collector, Nagaur (Rajasthan).

Place- Bharat Nirman Rajiv Sewa Kendra (I.T.Center), Mokalpur, Tehsil- Merta, District Collector, Nagaur.

Date-04.10.2023
Time-10.00 AM

33.	मांगीनाथ [illegible]	—	मांगीनाथ
34.	मारमल मोकलपुर	978323[illegible]	मारमल
35.	महेन्द्र मोकलपुर	9413613782	महेन्द्र
36.	सांईद हारुन मोकलपुर	—	(thumb impression) सांईद अं.
37.	लीलादेवी कार्यकर्ता	7229816587	लीलादेवी
38.	पप्पुदेवी सहायिका	8875066571	पप्पू देवी
39.	विमला वैष्णव मोकलपुर	9799781038	विमलावैष्णव
40.	रेखा वैष्णव आशा	9587699001	रेखा वैष्णव
41.	जरीना बानो "	8890656759	जरीना बानो
42.	उर्मिला "	7742193040	उर्मिला
43.	किरणकंवर "	9782515481	किरणकंवर

उपस्थिति पत्रक

Public hearing for Environmental Clearance for ''China Clay Mining Cluster Projects, (M.L.No. 03/19, 14/20, 21/13, 06/13, 05/13,07/14, 27/13, 14/14, 11/13, 61/13, 09/13, 20/13, 52/13, 37/13, 03/12, & 06/14) Proposed production capacity of the cluster is – 3,84,224 TPA (ROM) and Total Cluster Area 63.4445 Heacters, Applied by M/s Shri Hanuman Ram S/o Harka Ram & Co-Applicant- Smt. ChukiDevi W/o Sh. Harka Ram, Sh. Chandra Ram S/o Sh. Pusa Ram, M.L.No.-03/19, Mine Lease Area of 2.0091 Hectare, with the Proposed production capacity – 60951 TPA (ROM), Located at Near village- Mokalpur, Tehsil- Merta, District Collector, Nagaur (Rajasthan).

Place- Bharat Nirman Rajiv Sewa Kendra (I.T.Center), Mokalpur, Tehsil- Merta, District Collector, Nagaur.

Date-04.10.2023
Time-10.00 AM

44.	मन्जू - आशा मालियों की ढाणी	9875724484	मन्जू
45.	सुनिता कुमारी ANM मालियों की ढाणी	[illegible]2428003	सुनिता कुमारी
46.	रजनी शर्मा ANM मोकलपुर	7877847810	रजनी शर्मा
47.	निर्मला आशा मोकलपुर	9602915050	निर्मला
48.	बेबी मोकलपुर	9116687993	BABY
49.	शर्मिला जाँगिड़ मोकलपुर	9462145339	शर्मिला जाँगिड़
50.	फूलकवर साथिन मोकलपुर	6367233313	फूलकवर
51.	सोहनी देवी कार्यकर्ता मोकलपुर	9660152177	सोहनी देवी
52.	[illegible]	9950811592	[illegible]
53.	Sushil kr [illegible]	7727809304	[illegible]
54.			

परबतसर। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड की बैठक परबतसर बागड़ा निडम में प्रखंड अध्यक्ष श्याम निरंजन बोहरा की अध्यक्षता में हुई। विहिप परबतसर प्रखंड अध्यक्ष श्याम निरंजन बोहरा ने बताया कि बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा हुई साथ ही प्रखंड व खंड के नवीन दायित्वों की घोषणा गई। बैठक में उपस्थित विहिप जिला सह मंत्री बनवारी प्रजापत ने बताया कि नवीन दायित्वों के तहत प्रखंड उपाध्यक्ष बनवारी शर्मा, रामस्वरूप मुंड, गोपाल गोयर, छोटू राम मेघवाल प्रखंड मंत्री, हितेंद्र वैष्णव, धर्माचार्य सत्संग प्रमुख संदीप शर्मा, बजरंग दल संयोजक गौरी शंकर साहू, सहसंयोजक श्रीराम मालाकार साथ ही बड़ू खंड के नवीन दायित्व खंड उपाध्यक्ष दिनेश राजपुरोहित, दिलीप गहलोत, निर्मल जांगिड़, बजरंग दल खंड संयोजक, ईश्वर सैनी सह संयोजक मनीष सिखवाल, गौ रक्षा प्रमुख विकास सिंगोदिया, सह गौ रक्षा प्रमुख चेतन बिनावरा, खंड सत्संग प्रमुख विष्णु टेलर को नवीन दायित्व की घोषणा हुई। बैठक में झालरा मंडल के मंत्री नरेंद्र टेलर, रामदेव जाट, घनश्याम सहित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पंचायत समिति की बैठक आज

रियांबड़ी। पंचायत समिति रियांबड़ी की साधारण बैठक प्रधान उगमादेवी गोरा की अध्यक्षता में सोमवार दोपहर12 बजे समिति सभागार में होगी। विकास अधिकारी हापुराम जाट ने बताया कि बैठक में गत बैठक की कार्य कार्यवाही की पुष्टि, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के वार्षिक कार्य योजना 2023-2024 का अनुमोदन किया जाएगा। साथ ही बिजली, पानी, सड़क,राजस्व, वन विभाग आदि योजनाओं पर चर्चा कर प्रस्ताव लिए जाएंगे।

पौधों की सार-संभाल, पिलाया पानी

कुचामनसिटी। पदमपुरा रोड स्थित न्यायालय उपवन में बरगद संरक्षण फाउंडेशन खारिया की मिशन बरगद टीम द्वारा रविवार को श्रमदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पौधों की निराई-गुड़ाई के साथ खरपतवार को हटाया गया एवं पानी पिलाया गया। इस दौरान बरगद संरक्षण फाउंडेशन से नेताराम कुमावत, कुंदनमल, रामेश्वर लाल, ताराचंद, बंसीलाल, रामनिवास, अशोक, मुकेश, दीपक, रोशन, राहुल ने शिविर को सफल बनाया।

एसपी ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक

डेगाना। नागौर पुलिस अधिक्षक राममूर्ति जोशी ने शनिवार को डेगाना पुलिस थाने मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार, मेड़ता डिप्टी प्रमोद शर्मा, डेगाना वृताधीकारी रामेश्वरलाल सारण ओर पादू, मेंडतारोड, थांवला और डेगाना थानाधिकारियों की बैठक लेकर क्षेत्र मे बजरी माफियाओं, अपराधों ओर आने वाले विधानसभा के चुनावों पर गहनता से चर्चा की। बैठक मे एसपी जोशी ने कहा की पुलिस अपराधियों पर सख्ती बरते ओर अपराधी किसी भी हालत मे नहीं बचे तथा दोषी को पकड़ कर सजा दिलाने के लिए पुलिस बल पुरी मुश्तैदी के साथ 24 घंटें तैयार रहें। उन्होंने डेगाना, पादू, रिंया क्षेत्र मे पनपने वाले बजरी माफियाओं से संबंधित जानकारी ली व क्षेत्र में होने वाली चोरियों पर अंकुश लगाने को कहा।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-184/1384 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "वाईना क्ले माइनिंग कलस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं.- 76/19, 111/19, 19/18, 81/19, 95/19, 11/20, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 5/14, 47/13, 60/13, 4/14 & 16/12) कुल कलस्टर क्षेत्र -61.2531 हेक्टेयर कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 09,01,132 TPA (ROM)" आवेदक श्रीमती सोहनी देवी पत्नी स्व. श्री बगदार राम तथा सह-आवेदक श्री महिपाल राम पुत्र स्व. श्री बगदाराम एवं श्री शोभा राम पुत्र स्व. श्री बगदाराम (M.L.No.76/19) क्षेत्र-3.55106 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 96,602 TPA (ROM) गांव-इन्दावड, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद मे मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्रीमती सोहनी देवी पत्नी स्व. श्री बगदार राम तथा सह-आवेदक श्री महिपाल राम पुत्र स्व. श्रीबगदाराम एवं श्री शोभा राम पुत्र श्री बगदाराम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानो के अनुसरण मे जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों मे अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर।
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
9. ग्राम पंचायत इन्दावड।
10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर) इन्दावड, तहसील-मेड़ता, जिला नागौर

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक : न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2023/5172 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को प्रातः 11.30 बजे, स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर) इन्दावड, तहसील-मेड़ता, जिला नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय अधिकारी

DNA296059

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-180/1340 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "वाईना क्ले माइनिंग कलस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल.न.- 12/2020, 112/19, 14/18, 8/2010, 40/2013 & 9/2012), कुल कलस्टर क्षेत्र - 16.18688 हेक्टेयर कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 04,86,548 TPA (ROM)" आवेदक श्री आईदान राम पुत्र श्री संग्राम राम (M.L.No.12/2020) क्षेत्र-1.2618 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 66,460 TPA (ROM) गांव-इन्दावड, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहा तथा बाद मे मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री आईदान राम पुत्र श्री संग्राम राम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानो के अनुसरण मे जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों मे अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर।
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
9. ग्राम पंचायत इन्दावड।
10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर) इन्दावड, तहसील-मेड़ता, जिला नागौर

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक : न्याय/ प्रदूषण/ज.सु.2023/5144 दिनांक 19.08.2023 के क्रम मे इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को प्रातः 11.00 बजे, स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर) इन्दावड, तहसील-मेड़ता, जिला नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध मे लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय अधिकारी

DNA296060

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-147/1310 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 'वाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट' (एम.एल. नं. 9/20, 112/19, 14/18, 12/2020, 8/2010, 40/2013 & 9/2012), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 17.19809 हैक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 05,48,259 TPA (ROM))" आवेदक श्री छोटा राम पुत्र श्री शम्भू राम तथा सह- आवेदक- श्री ललित कुमार पुत्र श्री बगदाराम (M.L. No. 19/20), क्षेत्र- 1.01121 हैक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 61,711 TPA (ROM), गांव- इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर से सम्बंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद मे मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री छोटा राम पुत्र श्री शम्भू राम तथा सहआवेदक श्री ललित कुमार पुत्र श्री बगदाराम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानो के अनुसरण मे जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों मे अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर,
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर,
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर,
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर,
9. ग्राम पंचायत इन्दावड
10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक : न्याय/ प्रदूषण/ज.सु 2023/5179 दिनांक 19.08.2023 के क्रम मे इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 02.30 बजे, स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर मे उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध मे लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-166/1328 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "वाईना क्ले माइनिंग कलस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. न.- 19/2018, 76/19, 11/20, 81/19, 95/19, 111/19, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 5/14, 47/13, 60/13, 4/14 & 16/12), कुल क्लस्टर क्षेत्र -61.2531 हेक्टेयर कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 09,01,132 TPA (ROM)" आवेदक श्री गुलाब नाथ पुत्र श्री पुनानाथ तथा सह-आवेदक- श्री मांगीनाथ एवं श्री तेजनाथ (M.L.No.19/2018) क्षेत्र 2.71705 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 3,30,030 TPA (ROM) गांव-लुनियास, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद मे मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री गुलाब नाथ पुत्र श्री पूनानाथ तथा सह-आवेदक-श्री मांगीनाथ एवं श्री तेजनाथ ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानो के अनुसरण मे जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों मे अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर।
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
9. ग्राम पंचायत बड़गाव।
10. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लुनियास, गांव-लुनियास, तहसील-मेड़ता, जिला नागौर

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक : न्याय/ प्रदूषण/ज.सु.2023/5207 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 04.10.2023 (बुधवार) को दोपहर 12.00 बजे, स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लुनियास, तहसील-मेड़ता, जिला नागौर मे उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय अधिकारी

DNA296053

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-183/1378 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 'वाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट' (एम.एल. नं. 111/19, 76/19, 19/18, 81/19, 95/19, 11/20, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 5/14, 47/13, 60/13, 4/14 & 16/12), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 61.2531 हैक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 09,01,132 TPA (ROM))" आवेदक श्री रूपा राम पुत्र श्री हीरा राम जाट (M.L. No. 111/19), क्षेत्र- 1.0459 हैक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 29,605 TPA (ROM), गांव- इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर से सम्बंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री रूपाराम पुत्र श्री हीरा राम जाट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर,
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर,
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता,
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर,
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर,
9. ग्राम पंचायत इन्दावड,
10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक : न्याय/ प्रदूषण/ज.सु.2023/5221 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 3.30 बजे, स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय अधिकारी

DNA296063

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-172/1358 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 'वाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट' (एम.एल. नं. 14/18, 12/2020, 112/19, 8/2010, 40/2013, 9/2012), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 16.18688 हैक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 04,86,548 TPA (ROM))" आवेदक श्री रामनिवास पुत्र श्री मांगु राम खाती (M.L. No. 14/18), क्षेत्र- 1.35598 हैक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 3,16275 TPA (ROM), गांव- इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर से सम्बंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री रामनिवास पुत्र श्री मांगु राम खाती ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण मे जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर,
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर,
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर,
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर,
9. ग्राम पंचायत इन्दावड़,
10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक : न्याय/ प्रदूषण/ज.सु 2023/5200 दिनांक 19.08.2023 के क्रम मे इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 3.00 बजे, स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर मे उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-168/1334 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "वाईना क्ले माइनिंग कलस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं.- 81/2019, 76/19, 19/18, 11/20, 95/19, 111/19, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 05/14, 47/13, 60/13, 4/14 & 16/12), कुल कलस्टर क्षेत्र -61.2531 हेक्टेयर कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 09,01,132 TPA (ROM)" आवेदक श्रीमती नन्दु कंवर पत्नी श्री बहादुर सिंह तथा सह-आवेदक - श्रीमती रसाल कंवर पत्नी श्री गुमान सिंह, श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री हरिसिंह, श्रीमती जगमहल कंवर पत्नी श्री मदन सिंह एवं श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह (M.L.No 81/2019) क्षेत्र-1.96885 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 58,001 TPA (ROM) गांव-इन्दावड, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्रीमती नन्दु कंवर पत्नी श्री बहादुर सिंह तथा सह- आवेदक - श्रीमती रसाल कंवर पत्नी श्री गुमान सिंह, श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री हरिसिंह, श्रीमती जगमहल कंवर पत्नी श्री मदन सिंह एवं श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण मे जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों मे अवलोकनार्थ उपलब्ध है -

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर।
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
9. ग्राम पंचायत इन्दावड़।
10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर) इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला नागौर

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक : न्याय/ प्रदूषण/ज.सु.2023/5193 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 4.00 बजे, स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर) इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय अधिकारी

DNA296055

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-181/1346 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "वाईना क्ले माइनिंग कलस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं.- 03/19, 14/20, 21/13, 06/13, 05/13, 07/14, 27/13, 14/14, 11/13, 61/13, 09/13, 20/13, 52/13, 37/13, 03/12, & 06/14), कुल कलस्टर क्षेत्र -63.4445 हेक्टेयर कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 03,84,224 TPA (ROM)" आवेदक श्री हनुमान राम पुत्र श्री हरका राम तथा सह आवेदक-श्रीमती चुकली देवी पत्नी श्री हरका राम, श्री चन्दा राम पुत्र श्री पुसा राम (M.L.No.03/19) क्षेत्र-2.0091 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 60,951 TPA (ROM) गांव-मोकलपुर, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री हनुमान राम पुत्र श्री हरका राम तथा सह आवेदक-श्रीमती चुकली देवी पत्नी श्री हरका राम, श्री चन्दा राम पुत्र श्री पुसा राम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानो के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों मे अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर।
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
9. ग्राम पंचायत मोकलपुर।
10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर) मोकलपुर, तहसील-मेड़ता, जिला नागौर

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक : न्याय/ प्रदूषण/ज.सु.2023/5186 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 04.10.2023 (बुधवार) को प्रातः 10.00 बजे, स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर) मोकलपुर, तहसील-मेड़ता, जिला नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध मे लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय अधिकारी

DNA296054

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-147/1316 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 'वाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट' (एम.एल. नं. 112/19, 12/2020, 14/18, 8/2010, 40/2013 & 9/2012), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 16.18688 हैक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 04,86,548 TPA (ROM))" आवेदक श्री पुरखा राम पुत्र श्री नैनाराम (M.L. No. 112/19), क्षेत्र- 1.32360 हैक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 26,543 TPA (ROM), गांव- इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर से सम्बंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद मे मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री पुरखाराम पुत्र श्री नैना राम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण मे जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर,
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर,
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर,
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर,
9. ग्राम पंचायत इन्दावड,
10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक : न्याय/ प्रदूषण/ज.सु.2023/5165 दिनांक 19.08.2023 के क्रम मे इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को प्रातः 10.30 बजे, स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर मे उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध मे लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय अधिकारी

DNA296065

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-147/1390 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 'वाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट' (एम.एल. नं. 28/2022, 12/2022, 112/19, 14/18, 8/2010, 40/2013 & 9/2012), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 17.8251 हैक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 06,06,869 TPA (ROM))" आवेदक श्री रामकरण पुत्र श्री रिधाराम खाती (M.L. No 28/2022), क्षेत्र- 1.64511 हैक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 1,20,321 TPA (ROM), गांव- इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर से सम्बंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद मे मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री रामकरण पुत्र श्री रिधाराम खाती ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण मे जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों मे अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर,
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर,
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर,
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर,
9. ग्राम पंचायत इन्दावड़,
10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक : न्याय/ प्रदूषण/ज.सु.2023/5151 दिनांक 19.08.2023 के क्रम मे इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को प्रातः 10.00 बजे, स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध मे लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-171/1352 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 'वाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट' (एम.एल. नं. 14/20, 3/19, 21/13, 06/13, 05/13, 07/14, 27/13, 14/14, 11/13, 61/13, 09/13, 20/13, 52/13, 37/13, 03/12 & 06/14), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 63.4445 हैक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 03,84,224 TPA (ROM))" आवेदक अवताराम पुत्र श्री धर्माराम तथा सह-आवेदक- श्री भोमाराम पुत्र श्री धर्माराम (M.L. No. 14/20), क्षेत्र- 1.5730 हैक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 41,227 TPA (ROM), गांव- इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर से सम्बंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद मे मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री अवताराम राम पुत्र श्री धर्माराम तथा सह-आवेदक श्री भोमाराम पुत्र श्री धर्माराम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण मे जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर,
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर,
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर,
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर,
9. ग्राम पंचायत इन्दावड़,
10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला- नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक : न्याय/ प्रदूषण/ज.सु.2023/5228 दिनांक 19.08.2023 के क्रम मे इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 12.00, स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर मे उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय अधिकारी

DNA296062

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-173/1366 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "वाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 95/19, 76/19, 19/18, 81/19, 11/20, 111/19, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 5/14, 47/13, 60/13, 4/14 एवं 16/12) कुल क्लस्टर क्षेत्र 61.2531 हैक्टेयर कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 09,01,132 TPA (ROM)" आवेदक श्री नरसिंह पुत्र श्री नाथूराम (M.L.No. 95/19), क्षेत्र 3.97968 हैक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 89,250 TPA (ROM) गांव इन्दावड़, तहसील मेड़ता, जिला नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद मे मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री नरसिंह पुत्र श्री नाथूराम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर,
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर,
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर,
9. ग्राम पंचायत इन्दावड
10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड, तहसील मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/ प्रदूषण/ज.सु.2023/521[illegible] दिनांक 19.08.2023 के क्रम मे इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 12.00 बजे, स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड, तहसील मेड़ता, जिला-नागौर मे उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध मे लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-182/1372 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "वाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 11/20, 76/[illegible] 19/18, 81/19, 95/19, 111/19, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 5/14, 47/13, 60/[illegible] 4/14 एवं 16/12) कुल क्लस्टर क्षेत्र 61.2531 हैक्टेयर कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 09,01,132 [illegible] (ROM)" आवेदक श्री नाथूराम पुत्र श्री मुगना राम जाट (M.L.No. 11/20) क्षेत्र 1.12806 हैक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 40,497 TPA (ROM) गांव इन्दावड, तहसील मेड़ता, जिला नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद मे मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री नाथूराम पुत्र श्री मुगना राम जाट ने राजस्थान [illegible] नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख [illegible] कार्यालयों मे अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर,
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर,
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता,
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर,
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर,
9. ग्राम पंचायत इन्दावड़
10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड़, तहसील मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/ प्रदूषण/ज.सु.2023[illegible] दिनांक 19.08.2023 के क्रम मे इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 12.30 बजे, स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड़, तहसील मेड़ता, जिला-नागौर मे उपस्थित होकर अपने [illegible] / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध मे लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय [illegible] राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक [illegible] कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी [illegible] प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय [illegible]

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी-167/1322 दिनांक : 25.0[illegible]

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "वाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 122/19, [illegible] 32/13, 14/13, 18/13, 07/12, 31/13, 24/13, 02/14, 42/13, 48/13, 49/13, 58/13) कुल क्[illegible] 54.3428 हैक्टेयर कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 03,81,959 TPA (ROM)" आवेदक [illegible] पुत्र श्री धारूराम (M.L. No. 122/19), क्षेत्र 1.5649 हैक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 32,1[illegible] (ROM) गांव इन्दावड, तहसील मेड़ता, जिला नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वी[illegible] आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां [illegible] मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री सुखाराम पुत्र श्री धारू राम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की [illegible] स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत कि[illegible] परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या [illegible] दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण मे जन [illegible] इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अ[illegible] कार्यालयों मे अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर,
2. सीईओ जिला परिषद, नागौर,
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर,
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर,
6. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता,
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर,
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर,
9. ग्राम पंचायत इन्दावड़,
10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड़, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक [illegible] दिनांक 19.08.2023 के क्रम मे इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह [illegible] की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक [illegible] भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) इन्दावड़, तहसील मेड़ता, जिला-नागौर मे [illegible] मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध मे लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर [illegible] राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, [illegible] कोविड-19 से सम्बंधित [illegible]

Group General Manager/Technical (Area-1)

DIPR/ 4766 /TENDER/2023

9384135988 and 8778857061 may be contacted.

S.Kalyani, M.L.
Joint Commissioner / Executive Officer / Fit Person.

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-173/1366 दिनांक 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं 95/19, 76/19, 19/18, 81/19, 11/20, 111/19, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 5/14, 47/13, 60/13, 4/14 & 16/12), कुल क्लस्टर क्षेत्र 61.2531 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 09,01,132 TPA (ROM)" आवेदक श्री नरसिंह पुत्र श्री नाथू राम (M.L. No.95/19), क्षेत्र-3.97968 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 89,250 TPA(ROM), गांव इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री नरसिंह पुत्र श्री नाथू राम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA / EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, इन्दावड़।
   10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5214 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 02.00 बजे स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-180/1340 दिनांक 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं. 12/2020, 112/19, 14/18, 8/2010, 40/2013 & 9/2012), कुल क्लस्टर क्षेत्र 16.18688 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 04,86,548 TPA (ROM)" आवेदक श्री आईदान राम पुत्र श्री संग्राम राम (M.L. No.12 / 2020), क्षेत्र-1.2618 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 66,460 TPA(ROM), गांव इन्दावड़, तहसील - मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री आईदान राम पुत्र श्री संग्राम राम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/ EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   9. ग्राम पंचायत, इन्दावड़।
   10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5144 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को प्रातः 11.00 बजे स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील - मेड़ता, जिला - नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Protium Finance Limited

(Formerly known as Growth Source Financial Technologies Ltd.)

PUBLIC NOTICE

Nirlon Knowledge Park (NKP) B-2, Seventh Floor, Pahadi Village, Off. The Western Express Highway, Cama Industrial estate, Goregaon (E), Mumbai, Maharashtra- 400063

(Under Rule 3 (1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

SUBSTITUTED SERVICE OF NOTICE U/s.13 (2) of SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

Notice is hereby given to the borrowers as mentioned below that since they have defaulted in repayment of the Credit facility availed by them from Protium Finance Limited (Formerly known as Growth Source Financial Technologies Ltd. and before that known as Growth Source Financial Technologies Pvt. Ltd.), their loan credit facility has been classified as **Non-Performing Assets** in the books of NBFC as per RBI guidelines thereto. Thereafter, NBFC has issued demand notices to below mentioned respective borrower under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) on the last known addresses of the said borrowers thereby calling upon and demanding from them to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s within 60 days from the date of the respective Notice/s, as per details given below, together with further interest at the contractual rate on the below mentioned amount and incidental expenses, cost, charges etc. as stated in the said demand notices. However, the service is also being done by us by way of this publication as per Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (SARFAESI Rules)

Name and address of Borrower and Co Borrower/s	Loan Account No.	Date of NPA	Date of Demand Notice	Total Outstanding Dues (INR) as on below date*	Description of the Secured Assets/ Mortgaged Properties
1. H.N.S. Electronics (Borrower), 2. Legal Heirs of Late Mrs. Vimla Devi, 3. Hari Nand, 4. Jitendra (Co-Borrower), Jasoriya Colony, Ward No-15, Station Road, Khairthal, Alwar – 301404 Also At Patta 165, K.h 4058 Village Khairthal, Th. Kihangarh Bass, District Alwar (rajasthan), Pin-301001	GS043EEL 197846	31st January 2023	18th March 2023	**Rs. 48,44,327.14 /-** (Rupees Forty Eight Lakhs Forty Four Thousand Three Hundred Twenty Seven and Fourteen paise Only) as on Aug 10,2023	Property situated at Patta 165, K.H 4058 Village Khairthal, Th Kihangarh Bass, & District Alwar (Rajasthan), PIN-301001, admeasuring 183.96 Sq. Yards bounded as North: Pauder Factory, South: Road, East : Property of Vijay Kumar West : Road
1. Kesar Resort (Borrower), 2. Rajnesh Jagdish Parsad, 3. Suman Kanwar, 4. Bhagwati Devi, 5. Neeraj Singh Bhagwadia, 6. Andora Collection, 7. Faballe Fashion (Co-Borrower), 51/1, M/s Kesar Resort, Bachhod Road, Mirzapur, Mandi Ateli, Mahendragarh, Haryana- 123021 Also At B-7, Shree Nath Enclave, Village Keshopura, Ajmer Road, Tehsil Sanganer, Jaipur - 302024	GS010LAP 1229677 and GS010LAP 1229855	8th August 2022	11th August 2023	**Rs. 56,69,811/-** (Rupees Fifty Six Lakhs Sixty Nine thousand and Eight Hundred Eleven Only) and Rs.1,78,50,180/- (Rupees One Crore Seventy Eight Lakhs Fifty Thousand and One Hundred Eighty Only) as on Aug 11, 2023	1. All the piece and parcel of Property Plot No B-7, Shree Nath Enclave, Village Keshopura, Ajmer Road, Tehsil Sanganer, Jaipur, Admeasuring 138.88 Sq. Yards and bounded as under : North by : Plot no. B 6, South by :Plot no. B 8, East by : Road 30 Feet, West by: Plot no. B 12. 2. All the piece and parcel of Motel/Resort constructed on land admeasuring 15 Kanal 1 Marla (14 Kanal1 Marla + 1 Kanal), out of Khewat No. 33, Khatoni No. 33, Mu No.66//21/3 (3-18), 74//5/2/1 (0-12), 75//1/2(7-5), 2/1 (7-14), 3/1 (2-13), Kitta No. 5, Waka maujha Mirjapur, Tehsil Ateli, District Mahendragarh, Haryana and bounded as under East: Agri land of Bishmabhar Dayal s/o shyokaran, West: Petrol Pump of Bishmabhar Dayal s/o shyokaran, North: Agri land of Satpal s/o Ghessaram, South: Gajraj s/o Jagpal

We hereby call upon the borrower stated herein to pay us within 60 days from the date of this notice, the outstanding amount of more particularly stated in respective Demand Notices issued, together with further interest thereon plus cost, charges, expenses, etc. thereto failing which we shall be at liberty toshall proceed against the above Secured Asset(s)/Immovable Property (ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules not limited to taking possession and selling the secured asset entirely at the risk of the said borrower(s)/co borrower (s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s)at your own cost and consequences.

Please note that as per section 13(13) of the SARAFESI Act, all of you are prohibited from transferring by way of sale, lease or otherwise, the aforesaid secured assets without prior written consent of the Bank. Any contravention of the said section by you shall invoke the penal provisions as laid down under section 29 of the SARFAESI Act and / or any other legal provision in this regard

Please note that as per sub-section (8) of section 13 of the Act, if the dues of IBL together with all costs, charges and expenses incurred by IBL are tendered to IBL at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by IBL, and no further step shall be taken by IBL for transfer or sale of that secured asset.

Date: 28.08.2023
Place: Rajasthan

Sd/.
For Protium Finance Limited, Authorized Officer

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-185/1390 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं.28/2022, 12/2020, 112/19, 14/18, 8/2010, 40/2013 & 9/2012), कुल क्लस्टर क्षेत्र 17.8251 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 06.08.569 TPA (ROM)" आवेदक श्री राम करण पुत्र श्री रिधाराम खाती (M.L. No.28/2022), क्षेत्र-1.64511 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 1,20,321 TPA(ROM), गांव इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री पुरखा पुत्र श्री नैना राम जाट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA / EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, इन्दावड़।
   10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5151 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को प्रातः 10.00 बजे स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-169/1310 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं. 9/20, 112/19, 14/18, 12/2020, 8/2010, 40/2013 & 9/2012), कुल क्लस्टर क्षेत्र 17.19809 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 05,48,259 TPA (ROM)" आवेदक श्री छोटा राम पुत्र श्री शम्भू राम तथा सह-आवेदक-श्री ललित कुमार पुत्र श्री बगदाराम (M.L. No.09/20), क्षेत्र-1.01121 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 61,711 TPA(ROM), गांव इन्दावड़, तहसील - मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री छोटा राम पुत्र श्री शम्भू राम तथा सह-आवेदक-श्री ललित कुमार पुत्र श्री बगदाराम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/ EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   9. ग्राम पंचायत, इन्दावड़।
   10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5179 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 02.30 बजे स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता) क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-166/1328 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं.19/2018, 76/19, 11/20, 81/19, 95/19, 111/19, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 5/14, 47/13, 60/13, 4/14 & 16/12), कुल क्लस्टर क्षेत्र 61.2531 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 09,01,132 TPA (ROM)" आवेदक श्री गुलाब नाथ पुत्र श्री पुनानाथ तथा सह-आवेदक-श्री मांगीनाथ एवं श्री तेजनाथ (M.L. No.19/2018), क्षेत्र-2.71705 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 3,30,030 TPA(ROM), गांव लुनियास, तहसील - मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री गुलाबनाथ पुत्र श्री पुनानाथ तथा सह-आवेदक-श्री मांगीनाथ एवं श्री तेजनाथ ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   9. ग्राम पंचायत, बड़गांव।
   10. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लुनियास, गाँव लुनियास, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5207 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 04.10.2023 (बुधवार) को दोपहर 12.00 बजे स्थान-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लुनियास, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता) क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-181/1346 दिनांक 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं. 03/19, 14/20, 21/13, 06/13, 05/13, 07/14, 27/13, 14/14, 11/13, 61/13, 09/13, 20/13, 52/13, 37/13, 03/12 & 06/14) कुल क्लस्टर क्षेत्र 63.4445 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 03,84,224 TPA (ROM)" आवेदक श्री हनुमान राम पुत्र श्री हरका राम तथा सह-आवेदक-श्रीमती चुकली देवी पत्नी श्री हरकाराम, श्री चन्द्राराम पुत्र श्री पुसाराम (M.L. No.03/19), क्षेत्र-2.0091 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 60,951 TPA(ROM), गांव मोकलपुर, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री हनुमान राम पुत्र श्री हरका राम तथा सह-आवेदक-श्रीमती चुकलीदेवी श्री हरकाराम, श्री चन्द्रा राम पुसाराम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -
   1. जिला कलक्टर, नागौर। 2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   9. ग्राम पंचायत, मोकलपुर।
   10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), मोकलपुर, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5186 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 04.10.2023 (बुधवार) को दोपहर 10.00 बजे स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), मोकलपुर, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-170/1316 दिनांक 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं.112/19, 12/2020, 14/18, 8/2010, 40/2013 & 9/2012), कुल क्लस्टर क्षेत्र 16.18688 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 04,86,548 TPA (ROM)" आवेदक श्री पुरखा राम पुत्र श्री नैना राम (M.L. No.112/19), क्षेत्र-1.32360 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 26,543 TPA(ROM), गांव इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री पुरखा पुत्र श्री नैना राम मेघवाल ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA / EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, इन्दावड़।
   10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5165 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 10:30 बजे स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-171/1352 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं. 14/20, 3/19, 06/13, 05/13, 07/14, 27/13, 14/14, 11/13, 61/13, 09/13, 20/13, 52/13, 37/13, 03/12 & 06/14), कुल क्लस्टर क्षेत्र 63.4445 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 03,84,224 TPA (ROM)" आवेदक श्री जवरा राम पुत्र श्री धर्माराम तथा सह-आवेदक-श्री भोमाराम पुत्र श्री धर्माराम (M.L. No.14/20), क्षेत्र-1.5730 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 41,227 TPA(ROM), गांव इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री जवरा राम पुत्र श्री धर्माराम तथा सह-आवेदक-श्री भोमाराम पुत्र श्री धर्माराम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -
   1. जिला कलक्टर, नागौर। 2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   9. ग्राम पंचायत, इन्दावड़।
   10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5228 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 12:00 बजे स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-184/1384 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं. 76/19, 111/19, 19/18, 81/19, 95/19, 11/20, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 5/14, 47/13, 60/13, 4/14 & 16/12), कुल क्लस्टर क्षेत्र 61.2531 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 09, 01, 132 TPA (ROM)" आवेदक श्रीमती सोहनी देवी पत्नी स्व. श्री बगदाराम तथा सह-आवेदक श्री महिपाल राम पुत्र श्री स्व. श्री बगदाराम एवं श्री शोभा राम पुत्र स्व. श्री बगदाराम (M.L. No.76/19), क्षेत्र-3.55106 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 96,602 TPA(ROM), गांव इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्रीमती सोहनी देवी पत्नी स्व. श्री बगदाराम तथा सह-आवेदक श्री महिपाल राम पुत्र श्री स्व. श्री बगदाराम एवं शोभा राम पुत्र स्व. श्री बगदाराम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA / EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
   1. जिला कलक्टर, नागौर। 2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, इन्दावड़।
   10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5172 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को प्रातः 11:30 बजे स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-183/1375 दिनांक 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं. 111/19, 76/19, 19/18, 81/19, 95/19, 11/20, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 5/14, 47/13, 60/13, 4/14 & 16/12), कुल क्लस्टर क्षेत्र 61.2531 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 09, 01, 132 TPA (ROM)" आवेदक श्री रूपाराम पुत्र श्री हीरा राम जाट (M.L. No. 111/19), क्षेत्र-1.0459 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 29,605 TPA(ROM), गांव इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री रूपा राम पुत्र श्री हीरा राम जाट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA / EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, इन्दावड़।
   10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5221 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 03.30 बजे स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-167/1322 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं. 122/19, 41/13, 32/13, 14/13, 18/13, 07/12, 31/13, 24/13, 02/14, 42/13, 48/13, 49/13, 58/13), कुल क्लस्टर क्षेत्र 54.3428 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 03, 81, 959 TPA (ROM)" आवेदक श्री सुखाराम पुत्र श्री धारू राम (M.L. No. 122/19), क्षेत्र-1.5649 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 32,118 TPA(ROM), गांव इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री सुखा राम पुत्र श्री धारू ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA / EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -
   1. जिला कलक्टर, नागौर। 2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, इन्दावड़।
   10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5158 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 01.00 बजे स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-182/1372 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं 11/20, 76/19, 19/18, 81/19, 95/19, 111/19, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 5/14, 47/13, 60/13, 4/14 & 16/12), कुल क्लस्टर क्षेत्र 61.2531 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 09,01,132 TPA (ROM)" आवेदक श्री नाथू राम पुत्र श्री मूगना राम जाट (M.L. No.11/20), क्षेत्र-1.12806 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 40,497 TPA(ROM), गांव इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री नाथुराम पुत्र श्री मूगना राम जाट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA / EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, इन्दावड़।
   10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5235 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 12:30 बजे स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-172/1358 दिनांक : 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं. 14/18, 12/2020, 112/19, 8/2010, 40/2013 & 9/2012), कुल क्लस्टर क्षेत्र 16.18688 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 04,86,548 TPA (ROM)" आवेदक श्री रामनिवास पुत्र श्री मांगू राम खाती (M.L. No. 14/18), क्षेत्र-1.35598 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 3,16,275 TPA(ROM), गांव इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री रामनिवास पुत्र श्री मांगू राम खाती ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस. ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA / EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, इन्दावड़।
   10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5200 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 03:00 बजे स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर-341001

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-168/1334 दिनांक 25.08.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं. 81/2019, 76/19, 19/18, 11/20, 95/19, 111/19, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 5/14, 47/13, 60/13, 4/14 & 16/12), कुल क्लस्टर क्षेत्र 61.2531 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 09,01,132 TPA (ROM)" आवेदक श्री नन्दू कंवर पुत्र श्री बहादुर सिंह तथा सह-आवेदक-श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री हुक्म सिंह (M.L. No.81/2019), क्षेत्र-1.96885 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 58,001 TPA(ROM), गांव इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्रीमती नन्दू कंवर पत्नी श्री बहादुर तथा सह-आवेदक-श्रीमती रसाल कंवर पत्नी श्री गुमान सिंह, श्रीमती पेप कंवर पत्नी श्री हरिसिंह, श्रीमती जगमहल कंवर पत्नी श्री मदन सिंह एवं श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री हुक्म सिंह ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA / EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -
   1. जिला कलक्टर, नागौर। 2. CEO जिला परिषद् नागौर। 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, इन्दावड़।
   10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु. 2023/5193 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 04.00 बजे स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाईन के सामने, नागौर- 341001 (राज.)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक: 14 सितम्बर, 2006 की अनुपालनास्वरुप
चाईना क्ले क्लस्टर खनन परियोजना (एम.एल.न. 3/19, 14/20, 21/13, 06/13, 5/ 13, 7/14, 27/13, 14/14, 11/ 13, 61/13, 9/13, 20/13, 52/13, 37/13, 3/12, 6/14.
कलस्टर क्षेत्रफल 63.4445 हेक्टेयर, कलस्टर उत्पादन : 03,84,224 टीपीए) के लिए
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई
दिनांक: 04 अक्टूबर, 2023 समय: प्रात: 10 बजे से
स्थान: भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर), मोकलपुर , तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर
आवेदक का नाम व पता
ग्राम
तहसील एवं जिला
खनिज
एम.एल. रेफ संख्या
प्रस्तावित उत्पादन
क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
श्री हनुमानराम पुत्र श्री हरका राम सह -आवेदक - श्रीमती चुकली देवी धर्म पत्नी श्री हरकाराम श्री श्री चन्द्राराम पुत्र पुसाराम ग्राम: मोकलपुर तहसील-मेड़ता जिला-नागौर(राज.)
मोकलपुर
मेड़ता जिला नागौर
चाईना क्ले
03/2019
60,951 (ROM)
2.0091

मोकलपुर
मेड़ता जिला नागौर
चाईना क्ले
03/2019
60,951 (ROM)
2.0091
e-mitra+
ई-मित्र प्लस

श्री
राम
साऊण्ड
इन्दावड़

श्री
राम
साऊण्ड
इन्दावड़
श्री
राम
साऊण्ड
इन्दावड़

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
आवेदक
पर्यावरण सलाहकार

श्री
राम
साउण्ड
इन्दावड
VAIO

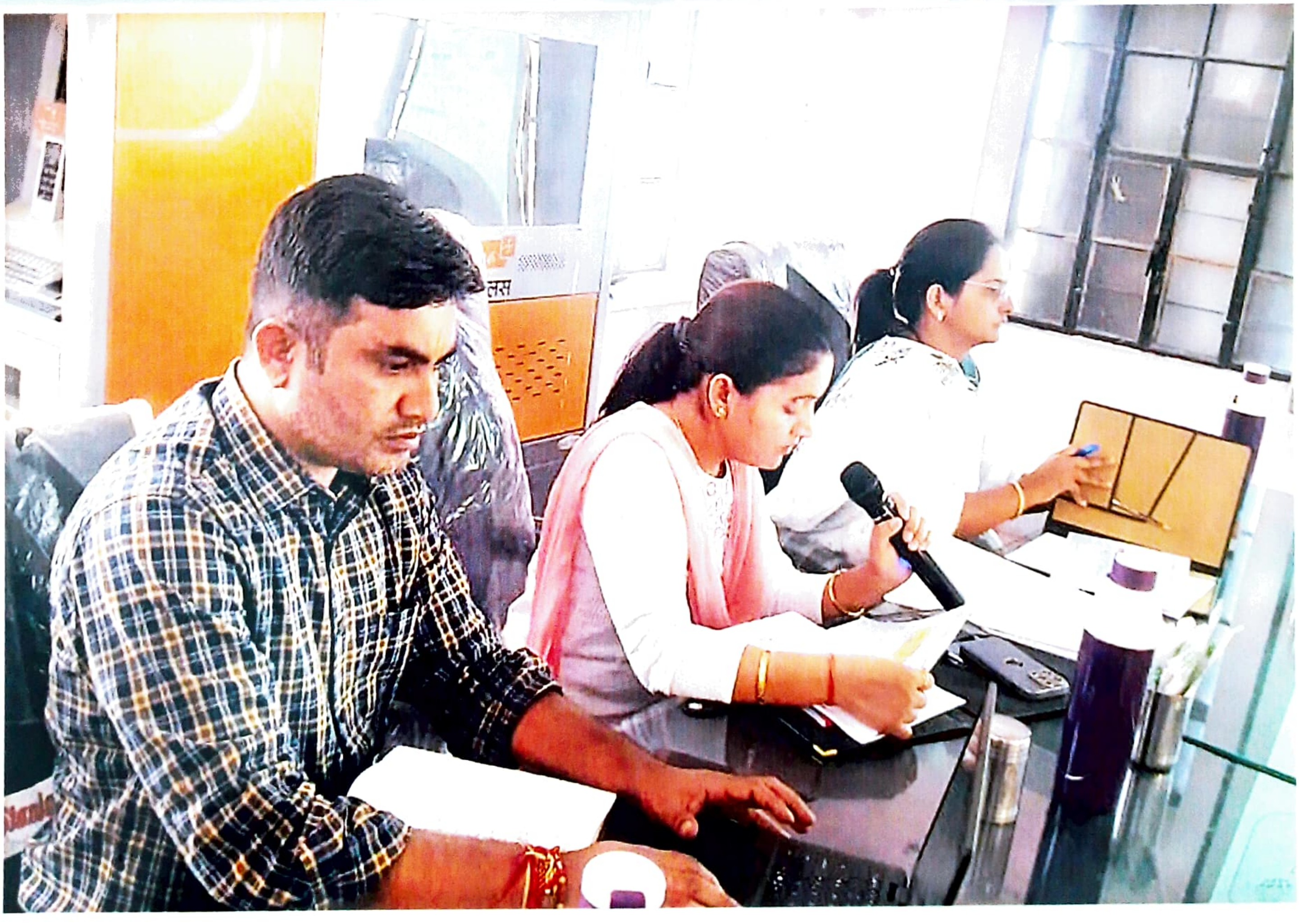

श्री
राम
साऊण्ड
इन्दावड
VAIO
PNKGN

VAIO

दिनांक:
स्थान: भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र
आवेदक का नाम व पता
ग्राम
तहसील एवं जिला
मोकलपुर
मेड़ता जिला नागौर

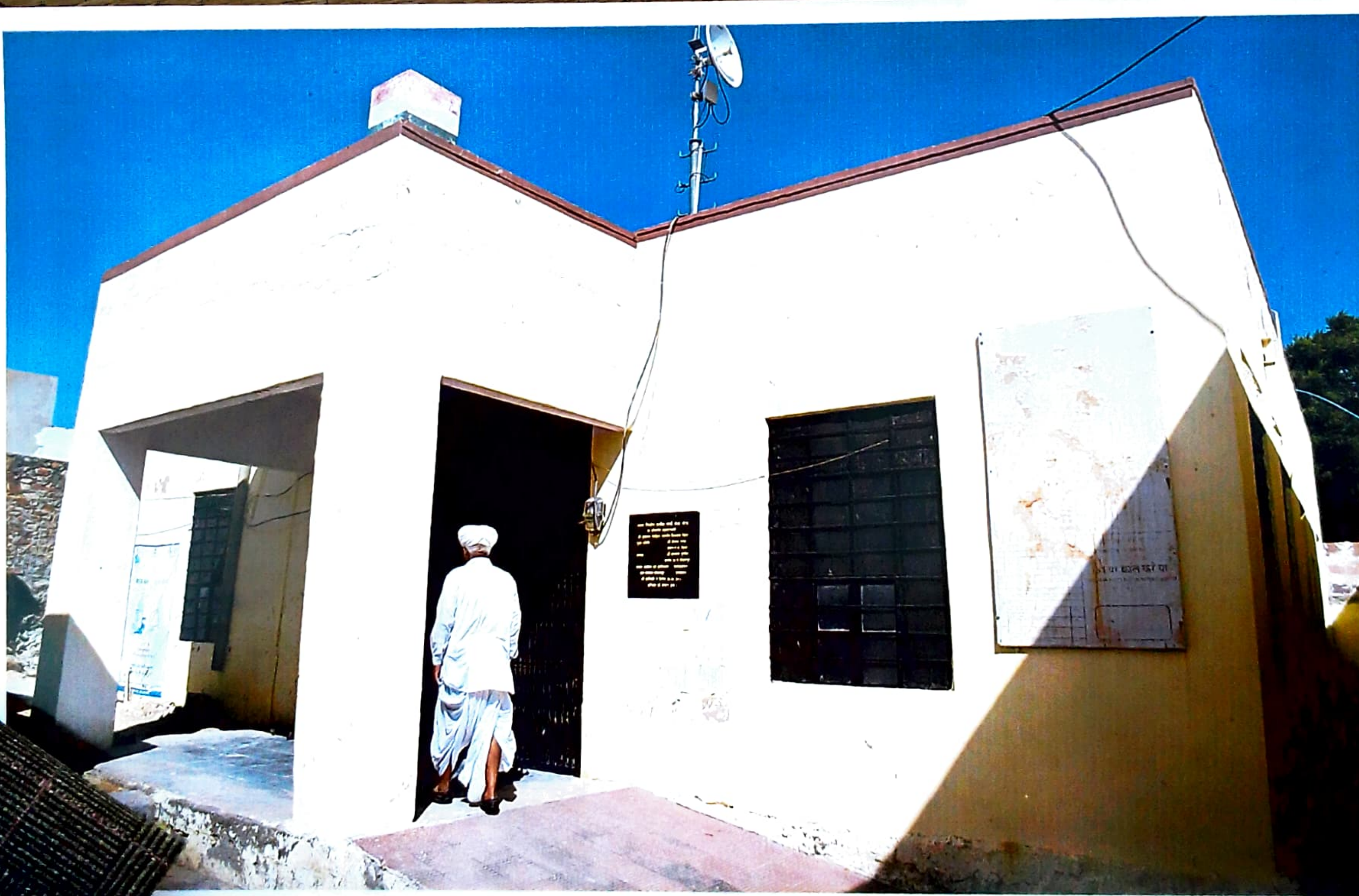

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई
दिनांक: 04 अक्टूबर, 2023 समय: प्रात: 10 बजे से
स्थान: भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर), मोकलपुर, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर
खनिज
एम.एल. पैक संख्या
प्रस्तावित उत्पादन
क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
मेड़ता जिला नागौर
चाईना क्ले
03/2019
60,951 (ROM)
2.0091
ई-मित्र